न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–001/2024

1. रामप्रताप पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार निवासी सावुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रार्थी

बनाम

1. रोशनसिह पुत्र अर्जनसिह जाति बावरी निवासी सावुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रामलाल पुत्र अर्जनसिह जाति बावरी निवासी सावुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगणः–

1. श्री करनैल सिंह अधिवक्ता – –प्रार्थीगण
2. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता – –अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 06.3.2024

प्रार्थीगण रामप्रताप ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है किं चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के खाता संख्या 206/196 मे पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 19/0.253 हैक्टर आराजी मुझ प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के खाता संख्या 157/72 में कुल 0.569 हैक्टर आराजी ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के खाता संख्या 157/72 में पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 22/0.253 हैक्टर आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि किला नम्बर 22 में से प्रार्थी होकर अपनी भूमि किला नम्बर 19 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नही है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने व फसल की जुताई

Scanned with CamScanner

व बिजाई करने में परेशानी होती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को अपनी आराजी चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 22 में से 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता पश्चिम दिशा में किला नम्बर 21 के चिपते हुए रास्ता बाबत दी हुई है तथा उक्त रास्ता मौका पर चालू है तथा उक्त रास्ता बाबत प्रार्थी के पक्ष में लिखित करवाकर एक शपथ पत्र भी निष्पादित करवाया हुआ है। फोटो कॉपी शपथ पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है। रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को समस्त राशि अदा की हुई है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 22 में पश्चिम दिशा की ओर 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता किलानं० 21 के चिपते ही दक्षिण से उतर रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृतशुदा रास्ता का गैर मुमकिन रास्ता के रुप में अंकन करवाने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 22 में पश्चिम दिशा की ओर 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता किला नम्बर 21 के चिपते ही दक्षिण से उतर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र की दफाओं को स्वीकार करते हुए अपना सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के खाता संख्या 206/196 मे पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 19/0.253 हैक्टर आराजी प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी है एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के खाता संख्या 157/72 में कुल 0.569 हैक्टर आराजी ब0 [illegible] राजस्व रिकॉर्ड है व चक 3 एस.बी.एन. के खाता संख्या 157/72 मे पत्थर [illegible] 218/197(28) किला नम्बर 22/0.253 हैक्टर आराजी मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है तथा मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि किला नम्बर 22 में से प्रार्थी होकर अपनी भूमि किला नम्बर 19 में प्रवेश करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को अपनी आराजी चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 22 में से 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता पश्चिम दिशा में किला नम्बर 21 के चिपते हुए रास्ता बाबत दी हुई है तथा उक्त रास्ता मौका पर चालू है तथा उक्त रास्ता बाबत प्रार्थी के पक्ष में लिखित करवाकर एक शपथ पत्र भी निष्पादित करवाया हुआ है, जिसमें हम अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर/अगूठें दर्ज है। रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थी से मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को समस्त राशि प्राप्त की हुई है। इसलिए मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 22 में पश्चिम दिशा की ओर 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता किला नम्बर 21 के चिपते ही दक्षिण से उतर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है। हम अप्रार्थीगण इससे पूर्णतया सहमत है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है व मैं अप्रार्थी इससे पूर्णतया सहमत हूं। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया अप्रार्थी संख्या 1 रोशनसिंह के [illegible] की भूमि चक नम्बर 3 एस. बी.एन. के पत्थर नम्बर 218/197(28) किला नम्बर 22 में पश्चिम दिशा की ओर 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता किला नम्बर 21 के चिपते ही दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन कर चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के खाता संख्या 157/72 में अप्रार्थी संख्या 1 रोशनसिंह का

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner